भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1337
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2018

हज के लिए सीटें

1337. डॉ॰ फारुख अब्दुल्लाः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विवेकाधीन कोटा के अंतर्गत हज के लिए कई सीटें आरक्षित की गई हैं जिनके लिए भारत के माननीय राष्ट्रपति, माननीय उप–राष्ट्रपति, माननीय प्रधान मंत्री और संसद सदस्यों सहित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सिफारिश की जाती है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मुस्लिम बहुल राज्य होने के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में सीटों की संख्या कम है जिसके परिणामस्वरूप हज करने की इच्छा रखने वाले तीर्थयात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है और यदि हां तो तत्संबंधे ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का निजी टूर ऑपरेटरों के हज कोटा को बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री **(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)**

(क): भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 23.07.2012 के आदेश में अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार, प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सिफारिशों पर आबंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित अनुसार सीमित कर दी गई हैः–

भारत के राष्ट्रपति	–	100 सीटें
उप राष्ट्रपति	–	75 सीटें
प्रधान मंत्री	–	75 सीटें
विदेश मंत्रालय	–	50 सीटें
भारतीय हज समिति	–	200 सीटें

हज संबंधी मामले दिनांक 01 अक्तूबर, 2016 से विदेश मंत्रालय से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को हस्तांतरित किए जाने से, विदेश मंत्रालय हेतु आरक्षित सीटें अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सिफारिश पर आबंटित की जा रही है।

(ख): भारतीय हज समिति (एचसीओआई) को आबंटित हज कोटा 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी मुस्लिम जनसंख्या के अनुपात में आबंटित किया जाता है। साथ ही हज, 2018–22 के लिए भारतीय हज समिति के हज यात्रियों हेतु नई हज नीति के अनुसार, हज, 2018 हेतु

राज्यों के कम प्रयुक्त कोटे के कारण खाली हुई अतिरिक्त सीटों के आबंटन के नए फार्मूले के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष कोटे के तौर पर 2000 अतिरिक्त सीटें आबंटित की गई है। इस प्रकार, हज 2018 हेतु, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को कुल 10062 सीटें आबंटित की गई हैं। हज 2017 के दौरान कुल 7960 सीटें आबंटित की गई थीं।

(ग): जहां तक हज, 2018 हेतु निजी टूर ऑपरेटरों (पीटीओ) को आबंटित हज कोटे का संबंध है, देश भर के 609 पीटीओ को कुल 46,323 सीटें आबंटित की गई हैं। पीटीओ का चयन देश के विभिन्न भागों में स्थित आवेदनकर्ता पीटीओ में से किया जाता है बशर्तें की वे पात्रता की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लिए, 11 पीटीओ आवेदनकर्ताओं में से, हज, 2018 हेतु 07 पीटीओ का चयन किया गया है तथा उन्हें कोटा आबंटित किया गया है।

*****